



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 575 राँची, गुरुवार,

5 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

28 अगस्त, 2024

विषय:- झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमवाली, 2001 के नियम 4 (a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 08 अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-4020 दिनांक- 18.06.2024 पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-08/वरीय नियुक्ति-01/2024 का० 5518--महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक 739, दिनांक- 15.02.2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमवाली, 2001 के नियम 4 (a) के शर्तों के अधीन 09 अभ्यर्थियों को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है ।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 08 अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या- 4020 दिनांक-18.06.2024 निर्गत की गयी है ।

3. दिनांक-07.08.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या 01 के रूप में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमवाली, 2001 के नियम 4 (a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 08 अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-4020 दिनांक-18.06.2024 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
